सं. आर-11017/19/2021-एलएण्डएम

भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय (केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ का कार्यालय)

> कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक : 州 अगस्त, 2021

आदेश

(बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 की धारा 108 के अंतर्गत)

बहु-राज्य सहकारी सिमितियाँ अधिनियम, 2002 की धारा 108 के अन्तर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित बहु-राज्य सहकारी सिमितियों के संबंध में, यह निदेशित किया जाता है कि ऐसे बोर्ड निर्णय जो कि सर्वसम्मित के स्थान पर अधिसंख्य सदस्यों के मतदान द्वारा लिए गये हैं, के संबंध में इस अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार रिकार्ड की गयी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ऐसी बोर्ड बैठक के सात दिनों के भीतर केंद्रीय रिजिस्ट्रार, सहकारी सिमितियाँ के कार्यालय को भेजे जाएंगे।

entral Reo

निम्नलिखित को प्रेषित :

1. समस्त बहु-राज्य सहकारी समितियाँ।

2. एनआईसी के वरिष्ठ प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट <u>www.mscs.dac.gov.in</u> पर अपलोड करने

हेतु।

(विवेक अग्रवाल)

केन्द्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ

No. R-11017/19/2021-L&M Government of India Ministry of Cooperation (Office of the Central Registrar of Cooperative Societies)

Krishi Bhawan, New Delhi Dated: Maugust, 2021

ORDER

(Under section 108 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002)

In exercise of the powers conferred under Section 108 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, for the multi – State cooperative societies located in various States and Union Territories, it is directed that minutes of proceedings recorded as per provisions of Section 110 of the Act, with regard to such Board decisions which have been taken by voting of majority members and not on unanimous basis, shall be sent to the office of Central Registrar of Cooperative Societies, within seven days of such Board meetings.

Distribution to:

1. All multi - State cooperative societies elli

(Vivek Aggarwal) Central Registrar of Co-operative Societies

N/sla

2. Senior Programmer, NIC for uploading on the departmental website www.mscs.dac.gov.in